

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक जी-1-2001/025-28

दिनांक 01-02-2001

विषय:- माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

SHIV VIDYA NIKETAN SCHOOL SHIVAM COLONY Ismailpur,
Basantpur फरीदाबाद का स्कूल नं. 431/8 से छठी से आठवी कक्षा
(मिडिल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्च पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम राशि प्लेण्ड न कराई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी0पी0एफ0 की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजुकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनिमित्यता पाई गई तो मान्यता रद्द की दी जायेगी ।
7. सी0डब्ल्यू0एफ0 रेडकास तथा स्पोर्ट्स फण्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चेक कर सकता है ।
9. एजुकेशन कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा ।

(ल.प.व.क.)
जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

पृ0क्रमांक

सम

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक सैकण्ड्री शिक्षा अधिकारी चण्डीगढ़ ।
2. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ।
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।
4. बी0एस0ई0 भिवानी ।

ल.प.व.क.
District Education Officer
Sector-1, Faridabad